पत्र संख्या–13 / विविध–01–04 / 2014सा॰ 108 /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

अनिल कुमार,
सरकार के अपर सचिव–सह–
मुख्य निगरानी पदाधिकारी ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव / सचिव,
कृषि विभाग / भवन निर्माण विभाग / सहकारिता विभाग /
शिक्षा विभाग / ऊर्जा विभाग / वन एवं पर्यावरण विभाग /
वाणिज्य–कर विभाग / खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग /
स्वास्थ्य विभाग / गृह विभाग / गृह (आरक्षी) विभाग /
गृह (कारा) विभाग / उद्योग विभाग / श्रम संसाधन विभाग /
पंचायती राज विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग /
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग / पथ निर्माण विभाग /
ग्रामीण विकास विभाग / परिवहन विभाग /
नगर विकास एवं आवास विभाग / जल संसाधन विभाग /
बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना ।
प्रमण्डलीय आयुक्त, भागलपुर / सारण / मुंगेर एवं मगध, गया ।
जिला पदाधिकारी, भागलपुर / लखीसराय / नवादा एवं सारण ।

पटना–15, दिनांक 24 मार्च, 2014

विषय :– **निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के काण्डों में वर्ष–2006 से 2013 तक सजायाफ्ता अभियुक्तों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो), बिहार, पटना द्वारा दिनांक 20.03.14 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षात्मक बैठक में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के कुल–104 काण्डों में वर्ष–2006 से वर्ष–2013 तक कुल–146 सजायाफ्ता अभियुक्तों की सूची उपलब्ध करायी गयी है जिसे सामान्य प्रशासन विभाग के वेवसाईट पर अपलोड कर दिया गया है । अनुरोध है कि विभाग की वेवसाईट से उक्त सूची डाउनलोड कर सजायाफ्ता सरकारी सेवकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने का कष्ट करें ।

ज्ञातव्य है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–20 के अनुसार न्यायालय के द्वारा दोष सिद्ध किए जाने पर सरकारी सेवक को प्रस्तावित शास्ति पर अभ्यावेदन का अवसर देते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा शास्ति अधिरोपित किया जा सकता है ।

अनु॰–यथोक्त (कुल पृष्ठ–09) ।

विश्वासभाजन,

सरकार के अपर सचिव–सह–
मुख्य निगरानी पदाधिकारी ।

कृ॰प॰उ॰ 2 / –

ज्ञापांक–13 / विविध–01–04 / 2014सा॰ 108 / पटना–15, दिनांक मार्च, 2014

प्रतिलिपि :– निगरानी विभाग, बिहार / निगरानी (अन्वेषण) ब्यूरो, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक–13 / विविध–01–04 / 2014सा॰ 108 / पटना–15, दिनांक मार्च, 2014

प्रतिलिपि :– आई॰टी॰ मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को इस आशय से प्रेषित कि इसे सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के वेवसाईट पर डालने की कृपा करें ।

सरकार के अपर सचिव ।

वर्ष 2006 से 2013 तक निगरानी कांडों मे सजायपता व्यक्तियों की सूची :–

वाद की संख्या	केस नं0	विषय	सजा	सजा की तिथि	संबंधित विभाग	वादों में शामिल लोक सेवक एवं गैर लोक सेवकों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	29/88	मो0 हसन इमाम, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कृषि विभाग	एक वर्ष सजा, 1000/– रू0 जुर्माना	08.06.2001	कृषि विभाग	1	
2	18/83	शंकर दयाल, जन सेवक, पंचायती राज	सजा	30.11.2003	कृषि विभाग	2	
3	05/08	श्री रामवचन सिंह, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड फलका, कटिहार	धारा–7 में 1 वर्ष कारावास 3000/–रू0 जुर्माना 13 (1) (डी) में 1 वर्ष कारावास 3000/–रू0 जुर्माना	11/12/2012	कृषि विभाग	3	
4	29/86	6) श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, प्रशाखा कृषि पदाधिकारी, लखिसराय	सभी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा	21-12-10	कृषि विभाग	4	
1	47/91	श्री जितेन्द्र मोहन, कार्यालय सहायक, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना	दो वर्ष एवं 5000/–रू0 जुर्माना	7/5/2010	बिहार लोक सेवा आयोग	1	
1	01/83	श्री रविभूषण प्रसाद एवं अन्य, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, भवन अचंल, दरभंगा	तीन वर्ष की सजा एवं जुर्माना की सजा	24-09-10	भवन निर्माण विभाग	1	
1	32/92	बिरेन्द्र कुमार, अवर निबंधक, सहकारिता	सजा	20.12.99	सहकारिता	1	
1	07/87	महेश पाण्डेय, शिक्षा निरीक्षक, शिक्षा विभाग	सजा	13.09.95	शिक्षा विभाग	1	
2	23/86	श्री मुद्रीका राय प्रभाकर, प्रधानाध्यापक, शिक्षा विभाग, मध्य विद्यालय, बेलाउर भोजपुर	एक वर्ष एवं 1000/– रू0 जुर्माना	26-06-07	शिक्षा विभाग	2	
3	01/96	श्री रामजी सिंह, प्रधान लिपिक, क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय, पटना	एक वर्ष एवं 500/–रू0 जुर्माना	29-11-08	शिक्षा विभाग	3	
4	33/07	श्री ओम प्रकाश, प्रखंड शिक्षा प्रसाद पदाधिकारी, कैमूर, भभूआ	धारा–7 में एक वर्ष एवं धारा–13 (1) (डी) में एक वर्ष छः महीना का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक धारा में 5000–5000 रू0 का जुर्माना	24-02-11	शिक्षा विभाग	4	